न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी: श्रीमती रीना छिम्पा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 45/2017

1. बलौर सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह जाति मजहबी निवासी 62 एफ हॉल निवासी कुरेशिया तहसील श्रीकरणपुर।
2. कुलवन्त सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह जाति मजहबी निवासी 62 एफ हॉल निवासी वार्ड नं0 1 श्रीकरणपुर।

--प्रार्थीगण--

बनाम

1. गुड्डी पुत्री मुख्तयार सिंह जाति मजहबी निवासी रत्तेवाला तहसील विजयनगर
2. राज्य सरकार जरिये राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

--अप्रार्थीगण--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 16/4/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आरटीए पेश कर निवेदन किया कि चक 62 एफ की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 43 के मु0 नं0 16 की कुल 6.121 हैक्टर नहरी भूमि मे प्रार्थी बलौर सिंह के नाम 0.310 हैक्टर, कुलवन्त सिंह के नाम 1.322 हैक्टर व अप्रार्थी गुड्डी के नाम 0.408 हैक्टर रकबा खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थीया गुड्डी प्रार्थीगण के बहिन है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी के पिता मुख्यतार सिंह के इस भूमि का घरू बटवारा कर दिया था जिसमे गुड्डी की यह 0.408 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण के हिस्से मे आ गई तथा इस भूमि की तय शुदा रकम प्रार्थीगण के द्वारा गुड्डी को अदा कर दी गई तब से लेकर आज तक इस भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा शांतिपूर्वक चला आ रहा है। इस घरू बटवारा को हुये 35-40 वर्ष हो चुके है तब से लेकर प्रार्थीगण गुड्डी की इस 0.408 हैक्टर भूमि पर काश्त कर रहे है। गुड्डी ने इस भूमि को आज तक कभी काश्त नही किया। पानी की बारी की पर्ची भी हमारे पूर्वजो के नाम है। प्रार्थीगण का इस भूमि पर गत 35-40 वर्षो से निरन्तर शांतिपूर्वक कब्जा होने से कब्जा प्रतिकूल हो चुका है और प्रार्थीगण इस भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 की देखा देखी खुलमे खुला काश्त कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 के इस 0.408 हैक्टर भूमि मे खातेदारी अधिकार स्वतः समाप्त हो चुके है और इस भूमि के खातेदारी अधिकार प्रार्थीगण मे निहित हो चुके है। अप्रार्थी संख्या 1 की इस भूमि का कब्जा लेने बाबत मियाद समाप्त हो चुकी है और प्रार्थीगण इस भूमि को राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने काफी मेहनत करके इस भूमि को उपजाऊ बनाया है। धारा 63 (4) आरटीए के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार समाप्त होकर प्रार्थीगण मे निहित हो चुके है। भूमि की कीमत मे बढोत्तरी होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 के मन मे लालच पैदा हो गया और अब उक्त भूमि अप्रार्थी 1 के नाम होने का अनुचित फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि मुन्तकिल करने व खुर्द बुर्द करने की फिराक मे है तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे दखल अंदाजी करने की फिराक मे है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 अपने मकसद मे कामयाब हो गई तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिये प्रार्थीगण जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीया को रोक पाने के अधिकारी है। आज से 10 रोज पूर्व से ही प्रतिवादी संख्या 1 गांव मे एलानिया कहा कि वह इस भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बेचान कर कब्जा दे देगी जो ले लेगा और उक्त भूमि कभी भी प्रार्थीगण के नाम दर्ज नही करवाऊगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सुन्तलन एवं राईट एण्ड टाईटल प्रार्थीगण के पक्ष मे बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि चक 62 एफ की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 43 के मु0 नं0 16 की कुल 6.121 हैक्टर नहरी भूमि मे अप्रार्थी संख्या 1 गुड्डी के नाम दर्ज 0.408 भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं प्रार्थीगण के कब्जा काश्त मे किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे।

[illegible] पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 का [illegible] पंजीकृत पत्र "लेने से इन्कार" की रिपोर्ट से प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 की तलबी विधिवत

Scanned by CamScanner

त होने के बावजूद उपस्थित नही आने पर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। जवाब स्टेट पेश नही र पर बंद किया गया।

बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील प्रार्थी के द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतू निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के द्वारा चक 62 एफ की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 43 के मु0 नं0 16 की कुल 6.121 हैक्टर नहरी भूमि मे अप्रार्थी संख्या 1 गुडडी के नाम दर्ज 0.408 भूमि के संबंध मे कथन किया है कि यह भूमि उन्हे 35-40 वर्ष पूर्व घरू बटवारा मे प्राप्त हुई है और तब से लेकर आज तक इस भूमि पर शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। 35-40 वर्ष पूर्व से कब्जा होने के कारण इस भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा प्रतिकूल हो चुका है और धारा 63(4) आरटीए के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार इस भूमि से स्वतः समाप्त होकर प्रार्थीगण मे निहित हो चुके है और प्रार्थीगण प्रतिकूल कब्जा के आधार पर इस भूमि को अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 212 आरटीए के तीनो बिन्दूओ पर विचार किया गया। प्रार्थीगण को इस भूमि के संबंध मे कोई खातेदारी अधिकार हासिल होने है या नही यह तथ्य मूल वाद मे साक्ष्य से तय होने है। प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ कोई घरू बटवारा संबंधी दस्तावेज पेश नही किया है। प्रतिकूल कब्जा को किसी भी न्यायालय द्वारा मान्यता नही दी गई है। इस संबंध मे कई उच्च न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयो मे प्रतिकूल कब्जा को अवैध ठहराया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 सहखातेदार है। सहखातेदार के विरूद्व स्थगन आदेश दिया जाना न्यायोचित नही है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा राईट एण्ड टाईटल प्रार्थीगण के पक्ष मे बनना नही पाया जाता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है एवं प्रकरण मे दिनांक 12.06.2017 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। पत्रावली निर्णित होकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 16/4/2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner